समाहरणालय, जहानाबाद

(जिला निर्वाचन कार्यालय)

लोक सभा आम निर्वाचन–2019 के अवसर पर मतदान सामग्री/लेखन सामग्री के दर निर्धारण हेतु अल्पकालीन निविदा

लोकसभा आम निर्वाचन, 2019 के संचालन हेतु ईवीएम/वीवीपैट से मतदान कराने हेतु प्रयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के मतदान सामग्री, लेखन सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। वैसे निबंधित एवं आर्थिक रूप से सुदृढ एवं सक्षम फर्म जो निर्धारित समय सीमा के अन्दर इसकी व्यवस्था कर जिला निर्वाचन कार्यालय, जहानाबाद में आपूर्ति करने के इच्छुक हैं, वें दिनांक 26.02.2019 के अपराह्न 3:00 (तीन) बजे तक मुहर बन्द लिफाफे में जिला निर्वाचन कार्यालय, जहानाबाद द्वारा निर्गत निविदा प्रपत्र में अपनी निविदा जिला निर्वाचन कार्यालय, जहानाबाद में दे सकते है। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले कोई भी निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा उसी दिन अपराह्न 04:00 (चार) बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता फर्म के मालिक/प्राधिकृत प्रतिनिधि चाहे तो उपस्थित रह सकते है। निविदा द्विलिफाफा पद्धति के आधार पर आमंत्रित की गई है। निविदादाता फर्मों को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहर बन्द सील लिफाफा में दर निर्धारण हेतु निम्नवत कार्यक्रम के अनुसार आमंत्रित की जाती है।

प्रथम		द्वितीय(प्रथम निविदा रद्ध होने के की स्थिति में)		तृतीय(द्वितीय निविदा रद्ध होने के की स्थिति में)	
निविदा आमंत्रण की तिथि (03:00 बजे अपराहन	निविदा निस्तारण की तिथि (04:00 बजे अपराहन	निविदा आमंत्रण की तिथि (03:00 बजे अपराहन	निविदा निस्तारण की तिथि (04:00 बजे अपराहन	निविदा आमंत्रण की तिथि (03:00 बजे अपराहन	निविदा निस्तारण की तिथि (04:00 बजे अपराहन
26.02.2019	26.02.2019	01.03.2019	01.03.2019	06.03.2019	06.03.2019

सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जाएगी। वैसे फर्म जो तकनीकी निविदा में सफल होंगे उन्ही फर्मों की वित्तीय निविदा खोली जाएगी। निविदा के साथ निविदादाता को 50,000/–(पचास हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी, जहानाबाद के पदनाम से संबोधित होगा इसे संलग्न करना होगा। निविदा का प्रपत्र जिला निर्वाचन कार्यालय, जहानाबाद से 500.00 (पॉच सौ) रूपये में कार्यालय अवधि में दिनांक 25.02.2019 के अपराह्न 02:00 (दो) बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदा सम्बन्धी विशेष जानकारी जहानाबाद जिला के वेवसाईट http://Jehanabad.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

ह0/–

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, जहानाबाद।

ज्ञापांक 155/निर्वा0 दिनांक 07.2.2019

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसका प्रकाशन जिले के वेवसाईट पर किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :– मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/2/19

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, जहानाबाद।

समाहरणालय,जहानाबाद
(जिला निर्वाचन शाखा)

लोकसभा आम निर्वाचन–2019 हेतु मतदान सामग्री/लेखन सामग्री से संबंधित निविदा

निविदा खोलने की तिथि– 27.02.2019 अपराह्न 4:00 बजे

प्रपत्र मूल्य – 500.00 (पाँच सौ)रूपये (निविदा प्रपत्र सहित)

(क) सामान्य शर्त :–

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद सील लिफाफे में देना अनिवार्य है।
2. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।
3. बिना कोई कारण बताये निविदा रद्द करने, निविदा के शर्तों को संशोधित करने, कार्यहित में एक से अधिक एजेंसी के बीच कार्य को बाँटने का अधिकार जिला कय समिति को सुरक्षित रहेगा।
4. समय सीमा के अन्दर सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर संबंधित फर्म को काली सूची में दर्ज करते हुए निर्वाचन कार्य को बाधित करने के हेतु नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करते हुए जमानत की राशि जप्त कर ली जाएगी।
5. सामग्रियों से संबंधित का नमूना निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। नमूना संलग्न नहीं रहने पर उक्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. अनुमोदित किये गये नमूना के अनुसार आपूर्ति की जाने वाली प्रत्येक सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना संबंधित आपूर्तिकर्त्ता की जिम्मेवारी होगी।
7. निविदाताओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए।
8. निविदाताओं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से काली सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए।
9. भुगतान के समय भुगतेय राशि से देय समस्त कर की राशि की कटौती श्रोत पर कर ली जायेगी।
10. भुगतान की कार्रवाई सामग्री की गुणवत्ता के आधार पर जाँचोपरांत की जाएगी।
11. कार्य आवंटन होने के पश्चात् जिला निर्वाचन कार्यालय में/कार्य स्थल पर निर्धारित समय पर सामग्री उपलब्ध कराना होगा इसके लिए किसी प्रकार का मार्ग व्यय/मजदूरी अलग से देय नहीं होगा।
12. विगत निर्वाचनो में संबंधित फर्मो द्वारा किये गये आपूर्ति से संबंधित अनुभव का प्रमाण–पत्र देना होगा।
13. दर समान रहने की स्थिति में निर्वाचन कार्य में अनुभव को आधार बनाते हुए प्राथमिकता दिया जायेगा।
14. किसी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
15. स्वीकृत न्यूनतम दर पर संबंधित निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता के साथ एकरारनामा करने की उपरान्त कार्यादेश/आपूर्ति आदेश निर्गत किया जायेगा। कार्यादेश/आपूर्ति आदेश प्राप्त होने पर सामग्री के नमूने के अनुरूप कार्यादेश में निर्धारित समय–सीमा के अन्दर संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय, जहानाबाद में सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा। इसके लिए आपूर्तिकर्ता को किसी प्रकार का अग्रिम/परिवहन/अतिरिक्त कोई भी राशि देय नहीं होगा।
16. निविदादाता द्वारा अपनी ओर से दी गयी कोई शर्त मान्य नहीं होगी।
17. समय सीमा के अंदर निर्धारित गुणवत्ता की सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर संबंधित फर्म को काली सूची में दर्ज करते हुए निर्वाचन कार्य को अपराधिक रूप से बाधित करने हेतु प्राथमिकी दर्ज की जायेगी एवं जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी।
18. निविदा डालने वाली सभी फर्मो की क्षमता का भौतिक सत्यापन करने का अधिकार जिला क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
19. उपलब्ध कराये गये सामग्री, उपस्कर एवं कार्य आदि का भुगतान सामग्री, उपस्कर एवं कार्य के गुणवत्ता के जाँचोपरांत किया जायेगा।
20. न्यूनतम दर पर सामग्रियों की आपूर्ति हेतु एक से अधिक फर्मों को कार्यादेश निर्गत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

(ख) तकनीकी निविदा की शर्तेः–

1. फर्म को GST नम्बर तथा पैन नम्बर का विवरण देना होगा।
2. फर्म को पिछले तीन वर्षो का आयकर रिटर्न का प्रमाण–पत्र देना होगा
3. फर्म का Bihar Shop And Establishment से निबंधित होने का प्रमाण–पत्र देना होगा।
4. फर्म को उधोग विभाग से निबंधित होने का प्रमाण–पत्र देना होगा।
5. तकनीकी निविदा के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पक्ष में 50,000/–(पचास हजार) रूपये का राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट सुरक्षित राशि के रूप में जमा करना होगा।
6. कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही दिया गया निविदा मान्य होगा।
7. निविदादाता को अपने फर्म के संबंध में एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फर्म किसी भी स्तर से काली सूची में दर्ज नहीं है तथा किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं है।
8. सामग्रियों का नमूना निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। नमूना संलग्न नहीं रहने पर उक्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. छः माह के अंदर का चरित्र प्रमाण पत्र (पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत)
10. निविदादाता को यदि कार्य आवंटित होता है तो निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण करना होगा आपूरित की जा रही सामग्री की गुणवत्ता अनुमोदित गुणवत्ता के अनुसार होनी चाहिये। अन्यथा कार्यादेश को रद्द करते हुए प्रतिभूति की राशि जप्त कर ली जाएगी तथा फर्म के विरूद्ध कानुनी कार्रवाई की जाएगी।

(ग) <u>वित्तीय निविदा की शर्तेः</u>–

1. कार्यादेश के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपने व्यय से जिला मुख्यालय जहानाबाद में करना होगा।
2. कार्यालय द्वारा क्रय किए गये निविदा प्रपत्र पर ही दर का उल्लेख अंक एवं शब्द में करना होगा।
3. उल्लिखित दर में किसी प्रकार का ओवर राइटिंग किए जाने पर उस मद का दर मान्य नहीं होगा

विस्तृत जानकारी एवं सूची जहानाबाद जिले की वेबसाईट http://Jehanabad.bih.nic.in पर उपलब्ध है, जिसे देखा जा सकता है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, जहानाबाद।